

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 29 सन 2021

अनवान :-

1. पिकनिक पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :-

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 310 की कुल 27.7960हैक् भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण पिकी पुत्री भरतसिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम पिकनिक पुत्री भरतसिंह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम पिकनिक पुत्री भरतसिंह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है तथा मजमे आम में भी प्रार्थीया के नाम की तस्दीक की गई है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 310 की कुल 27.7960हैक् भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी का नाम पिकी पुत्री भरतसिंह दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम पिकीनिक पुत्र भरतसिंह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम पिकीनिक पुत्र भरतसिंह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्य हकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है। तथा प्रार्थीया के नाम की तस्दीक मजमे आम में भी की गई

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 310 की कुल 27.7960हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम पिकी पुत्री भरतसिह दर्ज के स्थान पर पिकनिक पुत्री भरतसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट- देईदास

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/
तहसीलदार राजस्व नोहर ।
दिनांक :-

विषय :- प्रकरण संख्या 29/2021 अनवानी पिकनिक बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-
1. पिकनिक पुत्र भरतसिंह जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम


प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 310 की कुल 27.7960 हैक्ठु भूमि में प्रार्थी का नाम पिकी पुत्री भरतसिंह दर्ज के स्थान पर पिकनिक पुत्री भरतसिंह संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर नोहर हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्टदेईदास...